बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन भवन, फुलवारीशरीफ, पटना-14

विज्ञापन सं0 ......03...... पटना, दिनांक 24/02/2024

आवश्यकता

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यह नियोजन योगदान की तिथि से 01 वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आवश्यकतानुसार सेवा अवधि बढ़ायी/घटायी जा सकती है। पद का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की सं०	मानदेय	योग्यता एवं अनुभव	आयु सीमा
1	लेखा पदाधिकारी/ वरीय अंकेक्षक	14	₹35,000/-	वाणिज्य स्नातक/वाणिज्य स्नातकोत्तर एवं किसी सरकारी विभाग/ लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठित संस्थान में लेखापाल/अंकेक्षक कार्य का न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव।	दिनांक 11.03.2024 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
				बिहार राज्य वित्त अंकेक्षण सेवा/ महालेखाकार से सेवानिवृत लेखापाल/अंकेक्षक।	दिनांक 11.03.2024 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2	लेखापाल	35	₹30,000/-	सी०ए० या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जिन्हें तीन वर्षों का अनुभव हो अथवा किसी सरकारी विभाग/ लोक उपक्रम/ प्रतिष्ठित संस्थान से सेवानिवृत लेखापाल।	दिनांक 11.03.2024 को 45 वर्ष (सी०ए० या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट इंटरमीडिएट)/62 वर्ष (सेवानिवृत कर्मियों) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
				महालेखाकार से सेवानिवृत लेखापाल/अंकेक्षक।	दिनांक 11.03.2024 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1. इच्छुक अभ्यर्थी का बायो-डाटा, 01 पासपोर्ट साईज फोटो, संगत साक्ष्य/ अनुभव प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की अभि-प्रमाणित प्रति के साथ अपना आवेदन-पत्र निगम मुख्यालय, परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना में दिनांक 11.03.2024 के अपराह्न 03.00 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं अथवा निबंधित डाक से भेज सकते हैं।
2. अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा।
3. क्रमांक- 1 लेखा पदाधिकारी/वरीय अंकेक्षक के लिए अनारक्षित/ आरक्षित पद का विवरणः-
   - (i) अनारक्षित- 03 (01 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-01 (35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमान्य नहीं होगा)
   - (iii) पिछड़ा वर्ग-02 (35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमान्य नहीं होगा)
   - (iv) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-04 (01 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (v) अनुसूचित जाति-03 (01 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (vi) अनुसूचित जनजाति-01 (35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमान्य नहीं होगा)

     नोट :- 01 पद दृष्टि बाधित हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षित है।
4. क्रमांक- 2 लेखापाल के लिए अनारक्षित/ आरक्षित पद का विवरण :-
   - (i) अनारक्षित- 08 (03 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-03 (01 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (iii) पिछड़ा वर्ग-06 (02 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (iv) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-09 (03 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (v) अनुसूचित जाति-08 (03 पद महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत)
   - (vi) अनुसूचित जनजाति-01 (35% महिला आरक्षण के तहत पद अनुमान्य नहीं होगा)

     नोट :- (1) 01 पद दृष्टि बाधित एवं 01 बधिर और श्रवण शक्ति से ह्रास क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

     (2) 01 पद स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/ पोता/पोती को क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य होगा।
5. क्रमांक-1 एवं 2 लेखा पदाधिकारी/वरीय अंकेक्षक एवं लेखापाल के आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं परि-सम्पति प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जाय।
6. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं होने के संबंध में स्वलिखित घोषणा-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।
7. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाँच के उपरान्त साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निगम द्वारा कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में कुल रिक्त पदों के विरुद्ध 35% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
9. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20.01.2016 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से पदों को भरा जा सकेगा।
10. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 21485/पटना, दिनांक 22.11.2023 के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में आरक्षण शर्त्तों के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

    नियोजन हेतु चयनोपरान्त अभ्यर्थियों को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. यह विज्ञापन किसी भी समय रद्द करने का अधिकार निगम के पास होगा।

प्रशासक